न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 87/2018

1 सुमित्रा पुत्री स्व. मालाराम पत्नी सत्यवीर सिंह उम्र 46 साल जाति मेघवाल निवासी नियाज अलीपुर तन सरेली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2 सुशीला पुत्री स्व. मालाराम पत्नी बाबूलाल उम्र 41 साल जाति मेघवाल निवासी बलावा खुर्द (कृष्ण नगर) तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

अपीलांटस

बनाम

1 बजरंगलाल पुत्र श्री फुलचन्द जाति मेघवंशी निवासी नालपुर हाल आबाद डी–71 असनका नगर शिवाजी पार्क के पास अलवर जिला अलवर राज.
।
2 श्रवणी पत्नी रामकुमार
3 सुभाष
4 महावीर
5 राजेन्द्र
6 अमीत पुत्रगण रामकुंवार
7 किताब पत्नी होशियार सिंह
8 मनरूप
9 आशीश
10 भवंर पुत्रगण होशियार सिंह
11 शर्मिला
12 सुनिता
13 रेणू पुत्रियां होशियार सिंह
14 रोहताश पुत्र स्व. श्योकरण सिंह
15 अमीलाल पुत्र स्व. श्योकरण सिंह
15/1 सत्यवीर पुत्र स्व. अमीलाल
15/2 मुकेश पुत्र स्व. अमीलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

15/3 रवीदत्त पुत्र स्व. अमीलाल
15/4 करूणा पुत्री स्व. अमीलाल
समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर खेतड़ी।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.06.2018 उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बउनवानी श्रीमती सुमित्रा आदि बनाम बजरंगलाल आदि मु.नं. 436/2007

उपस्थिति :
1. श्री यशवीर लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 436/2007 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम नालपुर की भूमि खसरा नम्बर 434, 335, 336, 337

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के संदर्भ में घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने बिना किसी मौके की रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किये केवल गोदनामा दिनांक 19.02.1985 को आधार मानकर जाईन्दा वारिसान को अपनी पैतृक भूमि से वंचित करते हुए निर्णय पारित किया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में पेशशुदा दस्तावेजात, दावा व जवाब दावा तथा पत्रावली पर आई साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। ग्राम नालपुर भूमि खाता संख्या 275 के खसरा नम्बर 434 रकबा 1.16 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर व खाता संख्या 380 के खसरा नम्बर 335 रकबा 0.88 है., खसरा नम्बर 336 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 337 रकबा 1.16 है., कुल किता 3 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अपीलान्टस के कब्जे काश्त की है। उक्त भूमि में अपीलान्टस का पिता स्व. मालाराम काश्त करता था तथा अब अपीलान्टस काश्त करते है जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 15 का कोई लेना देना नहीं है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा बिना कब्जा काश्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस अपनी दादा ला पैतृक भूमि से वंचित हो रहे है तथा अपीलान्टस को अपनी पैतृक भूमि से वंचित रखते हुए निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी का निर्णय दिनांक 04.06.2018 प्रकरण संख्या 436/2007 बउनवानी श्रीमती सुमित्रा आदि बनाम बजरंगलाल आदि निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस को अपनी पैतृक भूमि ग्राम नालपुर खसरा नम्बर 434 रकबा 1.16 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में व खसरा नम्बर 335 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 1.16 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दर्ज कराये जाने का आदेश फरमाया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जावें। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 28.02.2004 को दर्ज किया गया है। इस नामान्तकरण को वादीगण अपीलांट ने आदिनांक तक चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की गई। उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त की गई। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट मालाराम की पुत्रियां है। इस तथ्य से प्रतिवादी ने इन्कार नहीं किया है। गोदनामें के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को चुनौती नही देने से वादीगण अपीलांट के पैतृक अधिकार समाप्त नहीं माने जा सकते है। विधि में नामान्तकरण की प्रकिया एक फिस्कल प्रोसेडिंग है। केवल इस आधार पर वादीगण अपीलांट का वाद खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की सुनवाई के उपरांत आदेश 20 नियम 5 के अनुसार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)